न्यायालयः— द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद,जिला भिण्ड (समक्षः पी०सी०आर्य)

दांडिक अपील क्रमांकः 134 / 2013 संस्थित दिनांक—22.03.2013 फाईलिंग नंबर—230303003732013

- मुन्ना पुत्र उमराय जाति कोरी आयु 35 साल निवासी बरथरा रोड़ गोहद
- 2. परिमाल सिंह पुत्र दौलतसिंह आयु 35 साल जाति यादव निवासी ललितपुर हाल दीनदयाल नगर ग्वालियर म0प्र0

.....अ<u>पीलार्थी / आरोपीगण</u>

वि रू द्ध

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा– आरक्षी केन्द्र मालनपुर, जिला–भिण्ड (म०प्र०)

---<u>प्रत्यर्थी / अभियोगी</u>

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक अपीलार्थी / आरोपीगण द्वारा श्री एम0एस0 यादव अधिवक्ता

न्यायालय—कु0 शैलजा गुप्ता, जे.एम.एफ.सी., गोहद, द्वारा दांडिक प्रकरण कमांक—557 / 09 में पारित निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक 25.02.2013 से उत्पन्न दांडिक अपील

-::- <u>नि र्ण य</u> -::-(आज दिनांक **05 दिसंबर 2015** को खुले न्यायालय में घोषित)

- 1. अपीलार्थी / आरोपीगण की ओर से उक्त दाण्डिक अपील धारा—374 द0प्र0सं० 1973 के अंतर्गत न्यायालय जे०एम०एफ०सी० गोहद कु० शैलजा गुप्ता द्वारा दाण्डिक प्रकरण कमांक 557 / 09 निर्णय दिनांक— 25.02.2013 के निर्णय एवं दण्डाज्ञा से विक्षुप्त होकर प्रस्तुत की है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपीगण को धारा—457, 380 भा०दं०सं० के अपराध में दोषी पाते हुए धारा—380 भा०दं०सं० का अपराध धारा—457 भा०दं०सं० में समाहित होने से मात्र धारा—457 भा०दं०सं० में छ:—छः माह के सश्रम कारावास और 3000—3000रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था ।
- 2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि एम0पी0आयरन इण्डस्ट्रीज कंपनी का प्रतिष्ठान मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित है तथा यह भी निर्विवादित है कि बताई गई घटना के समय अभियोजन के परीक्षित साक्षी अ0सा0—1 लगायत 4 उक्त प्रतिष्ठान के स्रक्षा अधिकारी / कर्मचारी थे।
- 3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बतायी गयी है कि फरियादी डीoएनoसिंह सिक्योरिटी मेनेजर एमoपीo आयरन एण्ड स्टील कंपनी मालनपुर द्वारा थाना

मालनपुर पर इस आशय का आवेदन दिया गया कि दिनांक 02 अगस्त 2009 की रात्रि करीब 01.40 बजे दो चोर फैक्ट्री की सीपी—3 यूनिट के अंदर घुसकर बिजली के कॉपर वायर चोरी करके ले जा रहे हैं जिसे ड्यूटी वाले गार्ड शिंभूसिंह तोमर तथा मानसिंह और सुपरवाईजर राधेसिंह परिहार ने मय माल के पकड़ लिया। नाम पता पूछने पर उन्होंने अपने नाम परमालसिंह पुत्र दौलतसिंह निवासी लिलतपुर तथा मुन्ना माहौर पुत्र उमराय कोरी निवासी गोहद होना बताये तथा बह उक्त सामान साथ लेकर थाने लाया है। कार्यवाही की जावे।

- 4. फरियादी द्वारा दिये गये उक्त आवेदन पर से थाना मालनपुर द्वारा अप०क0–109/09 धारा–457, 380 भा०द०वि० पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र विचारण हेतु सक्षम जे.एम.एफ.सी. न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 5. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोगपत्र एवं उसके साथ संलग्न प्रपत्रों के आधार पर आरोपीगण के विरूद्ध धारा—457, 380 भा०दं०सं० के तहत आरोप लगाये जाने पर आरोपी को पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोप से इंकार किया, उसका विचारण किया गया । विचारणोपरांत अपीलार्थी / आरोपीगण को धारा—457, 380 भा०दं०सं० के अपराध में दोषी पाते हुए धारा—380 भा०दं०सं० का अपराध धारा—457 भा०दं०सं० में समाहित होने से मात्र धारा—457 भा०दं०सं० में छः—छः माह के सश्रम कारावास और 3000—3000रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डत किया गया था । जिससे व्यथित होकर यह दाण्डिक अपील प्रस्तुत की गयी है ।
- 6. अपीलार्थी / आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत किए गये अपीलीय ज्ञापन में मूलतः यह आधार लिया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साक्षियों के कथनों में पर्याप्त विरोधाभाष होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने अभियोजन का प्रकरण शंका से परे प्रमाणित मानकर आरोपी / अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध करने में विधिक भूल की है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय स्थिर रखने योग्य नहीं है तथा प्रकरण में सभी साक्षीगण हितबद्ध हैं जो उक्त कंपनी के कर्मचारी प्रबंधक आदि हैं। जिनकी साक्ष्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने विश्वास कर गंभीर त्रुटि की है। किसी भी स्वतंत्र साक्षी के द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया गया है न ही चोरी हुए माल की उक्त फैक्ट्री के किसी भी संबंधित माल से समानता की जांच एवं शिनाख्ती नहीं कराई गई है। ऐसी स्थित में उक्त फैक्ट्री की चोरी का माल होना मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक भूल की है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अतः इसलिये अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य निर्णय अपास्त किया जावे और अपीलार्थी / आरोपीगण को दोषमुक्त किया जावे एवं उनका अर्थदण्ड वापिस दिलाया जावे।
- 07. अब प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपील के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है :—
- 1— ''क्या, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी / आरोपीगण के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित मानकर उसे इस अपराध में दोषसिद्ध कर दंडित करने में विधि या तथ्य की भूल की गई है ?''
- 2— क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई दण्डाज्ञा कठोर है ?

–::– <mark>निष्कर्ष के आधार</mark> –::–

आरोपी / अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने अंतिम तर्कों में अपील ज्ञापन मुताबिक तर्क करते हुए यह व्यक्त किया है कि प्रकरण के चारौ साक्षी अ०सा०-1 लगायत ४ आपस में हितबद्ध साक्षी हैं। उनके कथनों में भी काफी विरोधाभाष है और वह फैक्ट्री के कर्मचारी हैं तथा जो माल जप्त बताया गया है। उसकी कोई पहचान की कार्यवाही नहीं कराई गई है / तथा मूल कथानक के संबंध में सुदृढ़ साक्ष्य न होते हुए भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोजन के मामले को संदेह से परे प्रमाणित मानकर विधिक त्रुटि की है इसलिये गुण-दोषों पर अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं है। इसके अलावा यह तर्क भी किया गया है कि आरोपीगण विचारण के दौरान न्यायिक निरोध में भी रह चुके हैं और आरोपी/अपीलार्थी परिमाल वर्तमान में भी न्यायिक निरोध में है तथा मामला वर्ष 2009 का है और लंबे समय से वह अभियोजन का सामना करते चले आ रहे हैं। इसलिये सर्वप्रथम तो अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य निर्णय एवं दण्डाज्ञा को अपास्त कर दोषमुक्त किया जावे। विकल्प में यह भी तर्क किया गया है कि आरोपीगण के द्वारा जो न्यायिक निरोध में समयाविध व्यतीत की गई है, उसी को पर्याप्त मानते हुए जमा किये गये अर्थदण्ड पर ही छोड़ दिया जावे। क्योंकि आरोपीगण को लंबा अरसा अभियोजन का सामना करते हुए हो गया है जिसका विद्वान ए०जी०पी० द्वारा अपने तर्कों में विरोध करते हुए मूलतः यह तर्क किया गया है कि आरोपी / अपीलार्थीगण को रंगे हाथों फैक्ट्री के कॉपर वायर की चोरी करते हुए पकड़ा गया था और पुलिस के हवाले किया गया था तथा फैक्ट्री के ही सुरक्षा अधिकारी / कर्मचारी द्वारा पकड़ा गया है। इसलिये प्रकरण के लिये वह महत्वपूर्ण साक्षी हो जाते हैं और उनके द्वारा घटना का पूर्ण समर्थन किया गया है। उनकी साक्ष्य सुदृढ़ है इसलिये विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि उचित व विधिसम्मत है और दण्डाज्ञा दिये जाने में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पहले से ही उदारता का रूख अपना लिया गया है। अतः अपील निरस्त की जाकर दण्डाज्ञा को स्थिर रखा जावे।

09. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर चिंतन मनन किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया गया। दाण्डिक अपील के संबंध में यह सुस्थापित विधि है कि अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय की भांति साक्ष्य का गुण—दोषों पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए । जैसा कि न्याय दृष्टांत स्टेट ऑफ एम0पी0 विरुद्ध बल्लोर उर्फ रामगोपाल 2006 पार्ट—1 मध्यप्रदेश विधि भास्वर (एस0सी0) पेज—1 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

10. अभियोजन की ओर से बताये गये कथानक में दिनांक 02.08.09 की दरम्यानी रात्रि में एम0पी0 आयरन फैक्ट्री सी0पी0—3 मालनपुर में चोरी करते समय रंगे हाथों आरोपीगण को पकड़ा जाना और उनसे बीस किलो कॉपर वायर बरामद होना बताया गया है। जिन्हें मय माल के थाने ले जाकर रिपोर्ट कराई गई जिस पर से मामला पंजीबद्ध होकर अनुसंधान हुआ। यह सही है कि परीक्षित साक्षियों में से अ0सा0—1 लगायत 4 एम0पी0आयरन फैक्ट्री के ही अधीनस्थ कर्मचारी हैं। और अ0सा0—5 व 6 पुलिस अधिकारी कर्मचारी हैं। किन्तु घटना रात के समय की बताई गई है। तथा अ0सा0—1 लगायत 4 फैक्ट्री के सुरक्षा संबंधी अधिकारी कर्मचारी हैं जिनमें अ0सा0—1 जो कि सिक्योरिटी मेनेजर के पद पर पदस्थ था, तथा अ0सा0—2 सिक्योरिटी सुपरवाईजर एवं अ0सा0—3 व 4 सिक्योरिटी गार्ड थे जिनका पदीय कर्त्तव्य ही फैक्ट्री और उसके माल की सुरक्षा का था। ऐसे में उन्हें हितबद्ध साक्षी की संज्ञा नहीं दी जा सकती है और अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कतई विधिसम्मत नहीं है कि अ0सा0—1 लगायत 4 हितबद्ध होने से कतई विश्वसनीय नहीं हैं।

प्रकरण में परीक्षित साक्षियों में से राधेश्याम अ०सा0-2 के द्वारा इस आशय की साक्ष्य दी गई है कि वह दिनांक 01.08.09 को एम0पी0आयरन फैक्ट्री मालनपुर में सिक्योरिटी सुपुरवाईजर था। घटना रात की है तथा एम0पी0आयरन फैक्ट्री की सी0पी0-3 की है जिसमें बिजली के तार काटकर आरोपी परिमालसिंह यादव और मुन्ना माहौर द्वारा चोरी की गई थी। वह उस समय राउण्ड पर थे और उसने अंदर टॉर्च से लाईट जलाकर देखा था तो आरोपीगण तार काट रहे थे जिन्हें पकडा गया था उनके पास से तार एवं कटर मिला था जिसकी सूचना उसने सिक्योरिटी मेनेजर व पुलिस को दी थी। पुलिस आई थी। फिर आरोपीगण को मय सामान के ले गयी थी। उसके सामने प्र0पी0–4 एवं 5 की जप्ती की कार्यवाही की गई थी और आरोपीगण को प्र0पी0–6 एवं 7 के गिरफतारी पंचनामा बनाकरप गिरफतार किया गया था। उसने राउण्ड पर तीन लोगों का होना बताया है और यह भी स्पष्ट किया है कि उसकी ड्यूटी दिन में रहती है लेकिन रात में राउण्ड पर वह रहता है और घटना के समय भी राउण्ड पर वह रात में था। फैक्ट्री मेनेजर रात के करीब बारह बजे आये थे। पुलिस वाले फैक्ट्री गेट के बाहर निकलते समय मिले थे। आरोपीगण को सी0पी0-3 यूनिट के कमरे से पकडा गया था जिसमें दरवाजा लगा था। ताला नहीं लगा था। उसके साथ शिंभुसिंह तोमर व मेनेजर भी थे। तार काटते समय भी आरोपीगण के पास बैटरी थी। उसने परिमाल सिंह को पकडा था। जप्ती की लिखापढी पर उसने पढकर हस्ताक्षर किये थे। दोनों आरोपीगण से तार एवं तार काटने का कटर जप्त हुआ था। तार करीब बीस किलो था। उसके फोन करने के करीब 25 मिनट बाद उनके अधिकारी अर्थात् फैक्ट्री मेनेजर आ गये थे।

साक्षी की अभिसाक्ष्य उक्त स्रक्षा गार्ड मानसिंह अ०सा०-3 व शिंभूसिंह तोमर अ०सा०-4 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में किया है जो कि ड्यूटी पर होना बताये गये हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि आरोपीगण से पूछने पर उन्होंने अपने नाम बताये थे और जब वे पहुंचे तब आरोपीगण छूपे हुए थे जिनको पकडा गया था। उसने यह भी स्पष्ट किया है कि फैक्ट्री काफी बड़ी है और उनके सुपुरवाईजर संतोष थे। वहाँ से सी0पी0—3 यूनिट करीब आधा किलोमीटर दूर थी। सी0पी0–3 की यूनिट में कमरा है जिसमें सामान रहता है। अ0सा0–4 ने यह भी स्पष्ट किया है कि दोनों आरोपीगण से 10-10 किलो कॉपर वायर और काटने के औजार मिले थे। उसने इस संबंध में अवश्य विरोधाभाषी तथ्य बताये हैं कि उसे आरोपीगण छूपे हुए नहीं मिले बल्कि भागते हुए उसने पकडा। उसने मुन्ना कोरी को पकड़ना बताया है और यह भी कहा है कि आरोपीगण को कर्नल साहब (सुरक्षा मेनेजर) की गाड़ी की डिग्गी में सामान रखकर थाने ले गये थे। थाने पहुंचने में दस मिनट का समय लगा था और कर्नल थाने पहंचने के पहले फैक्ट्री में नहीं आये थे।

13. सिक्योरिटी मेनेजर देवनारायण सिंह अ०सा०—1 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि दिनांक 01—02 अगस्त 2009 की दरम्यानी रात्रि की घटना है। उसे सुपुरवाईजर राधेश्याम ने फोन से बताया था कि दो चार सी०पी०—3 के अंदर चोरी करके वायर ले जाते हुए पकड़े गये हैं जिस पर से उसने पुलिस को खबर करने की कही थी। और उसने स्वयं आने की बात कही थी। फिर वह फैक्ट्री गया था। तब पुलिस वाले भी आ गये थे। और दोनों आरोपीगण को मय सामान के पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया था। और थाने जाकर रिपोर्ट की थी। उसने प्र०पी०—1 की लेखी रिपोर्ट की थी जिस पर से पुलिस ने प्र०पी०—2 की एफ०आई०आर० दर्ज की थी और प्र०पी०—3 का नक्शामौका भी बनाया था। उसने यह अवश्य कहा है कि एक आरोपी मुन्ना गोहद का रहने वाला था और दूसरा आरोपी यादव लिलतपुर उत्तरप्रदेश का रहने वाला था। उसने यह भी कहा है कि घटना के समय वह ग्वालियर में रहता था। और रात को करीब एक बजे उसे खबर

मिलने पर वह मालनपुर आया था। उसने आरोपीगण को पुलिस की गाड़ी में बैठा देखा था। चोरी का सामान पुलिस वालों को फैक्ट्री के गेट पर ही दिया था। वहीं पर बैठकर उसने प्र0पी0—1 की रिपोर्ट लिखकर दी थी। फिर वह थाने खाली हाथ गया था। फिर उसने यह बताया है कि लेखी रिपोर्ट उसने फैक्ट्री में लिखकर थाने पर जाकर दी थी और एफ0आई0आर0 दर्ज होने के बाद आरोपीगण को बंद किया गया था। नक्शामौका बनाने के लिये द्वारा पुलिस फैक्ट्री में आई थी जिसका वह समय नहीं बता सकता है।

- इस प्रकार से अभिलेख पर अ०सा०-1 लगायत 4 की जो साक्ष्य आई है और जो उन्हें बचाव पक्ष की ओर से सुझाव देकर प्रश्न किये गये हैं, उनमें ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है कि अ०सा०–1 लगायत 4 का आरोपियों से कोई पूर्व का परिचय हो या किसी प्रकार की कोई बुराई भलाई हो। ऐसे में हितबद्धता के आधार पर झुंठा फंसाये जाने का तर्क बे–बुनियाद है। बल्कि अ०स०–1 लगायत ४ के अभिसाक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि सुरक्षा गार्डों को और सुपरवाईजर को आरोपीगण एम0पी0आयरन इण्डस्ट्रीज मालनपुर की सी0पी0-3 यूनिट के अंदर कॉपर वायर काटते समय मिले जिन्हें मौके से ही रंगे हाथों पकड़ा और उनसे काँपर वायर भी बरामद हुआ। ऐसे में काँपर वायर की शिनाख्ती की आवश्यकता नहीं रह जाती है तथा आरोपीगण की पहचान की कार्यवाही भी आवश्यक नहीं रह जाती है क्योंकि उन्हें पुलिस के हवाले तत्काल किया गया है और बिना किसी अनुचित विलंब के रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। ऐसे में प्र0पी0–1 व 2 के दस्तावेज अ०सा०–1 लगायत ४ के अभिसाक्ष्य से ही प्रमाणित होते हैं। तथा ए०एस०आई० सुरेश शर्मा अ0सा0–5 के द्वारा भी अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि फरियादी आरोपीगण को साथ लेकर ही थाने आये थे और रिपोर्ट की थी। जिस पर से उसने प्र0पी0–2 की एफ0आई0आर0 लिखी थी तथा आरोपीगण को प्र0पी0–6 व ७ के गिरफतारी पंचनामा बनाकर गिरफतार किया गया था और जप्ती की कार्यवाही की गई थी। उसके द्वारा यह बताया जाना कि फरियादी आरोपीगण को साथ लेकर थाने आया और दरवाजे के सामने सारी कार्यवाही की गई।
- 15. इस आधार पर आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि पूरी कार्यवाही पुलिस ने थाने पर बैठकर कर ली है जबिक अन्य साक्षीगण द्वारा पुलिस का फैक्ट्री पर आना और वहाँ आरोपीगण को सुपुर्द किया जाना बताया गया है। यह इतना तात्विक स्वरूप का विरोधाभाष नहीं है जो पूरी अभियोजन कहानी को संदिग्ध मानने के लिये पर्याप्त हो क्योंकि प्र0पी0—1 की लेखी रिपोर्ट के आधार पर ही दोनों आरोपीगण को मय माल के पकड़ा जाकर मय सामान के थाने पर ले जाया जाना और कार्यवाही होना बताया गया है। इसलिये पुलिस यदि फैक्ट्री पर तत्समय न भी गई हो तो उससे कोई अन्यथा निष्कर्ष प्राप्त नहीं होता है क्योंकि ऐसी कोई विषंगति नहीं आई है जो यह प्रमाणित करे कि जप्ती की कार्यवाही आरोपीगण से नहीं हुई है और विधि में यह सुस्थापित विधि है कि किसी भी बिन्दु पर केवल तकनीकी आधार पर विचार नहीं किया जा सकता है। गण—दोषों पर भी विचार किया जाना चाहिए।
- 16. आरोपीगण की ओर से बचाव में भी ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि यदि वे घटना दिनांक की रात्रि में एम0पी0आयरन फैक्ट्री पर नहीं गये थे तो कहाँ गये थे। तथा अभिलेख पर किसी भी साक्षी के बारे में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जो यह दर्शित करता हो कि कोई भी साक्षी किसी द्वेष भाव से या दुर्भावना से उनके विरूद्ध अभिसाक्ष्य दे रहा है बल्कि तत्समय ही आरोपीगण का नाम भी बताया जाना और नाम के बारे में कोई विरोधाभाष की स्थिति न होने से अभियोजन कथानक और उस अनुरूप आई अभियोजन की साक्ष्य विश्वसनीय होकर विधिक रूप से ग्राह्य योग्य है। तथा अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाये गये बिन्दुओं में कोई विधिक बल नहीं है।

इसलिये अ0सा0—1 लगायत 5 की साक्ष्य विश्वसनीय मान्य किये जाने में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है।

17. बचाव पक्ष का यह आधार कि जो वायर जप्त हुआ है वह बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इस आधार पर ही कोई अन्यथा निष्कर्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि किसी भी साक्षी से आरोपीगण की पूर्व की कोई बुराई नहीं बताई गई है और अ0सा0—1 लगायत 4 के द्वारा अपने पदीय कर्त्तव्य के अनुक्रम में कार्यवाही की गई है। इसलिये उनकी अभिसाक्ष्य विश्वासयोग्य ही मानी जावेगी। और इस बिन्दु से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। आरोपीगण को पुलिस की गाड़ी से थाने ले जाया गया या सिक्योरिटी मेनेजर की गाड़ी से ले जाया गया। ऐसे में अभियोजन का मामला संदेह से परे प्रमाणित होता है कि आरोपीगण के द्वारा ही दिनांक 02.08.09 की दरम्यानी रात्रि में एम0पी0आयरन फैक्ट्री मालनपुर सी0पी0—3 यूटि से कॉपर वायर की चोरी जिस स्थान से की गई वह निश्चित रूप से प्रतिष्ठान का भाग होकर संपत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आने वाला स्थान है और घटना सूर्यास्त से सूर्योदय के दरम्यान की है तथा निर्माण भीतर की है। ऐसे में धारा—457, 380 भा0द0वि0 में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि विधिसम्मत है। अतः दोषसिद्धि के बिन्दु पर अपीलार्थीगण की प्रस्तुत दाण्डिक अपील सारहीन पाते हुए निरस्त कर दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है।

18. 🗥 🔊 जहाँ तक दण्डाज्ञा का प्रश्न है, यह सही है कि मामला मुलतः वर्ष 2009 का है और आरोपीगण ने उपस्थित रहकर अभियोजन का लगातार सामना किया है तथा वह पूर्व में न्यायिक निरोध में भी रह चुके हैं। किन्त् अभिलेख के परिशीलन से आरोपी अपीलार्थी मुन्ना दिनांक 02.08.09 से 17.08.09 तक ही न्यायिक निरोध में रहा है तथा आरोपी / अपीलार्थी परिमालसिंह दिनांक 02.08.09 से 18.08.09 तक एवं वर्तमान में दिनांक 17.11.15 से आज दिनांक 05.12.15 तक न्यायिक निरोध में रहा है। किन्तु वह अवधि अपराध की प्रकृति को देखते हुए पर्याप्त नहीं मानी जा सकती है। क्योंकि भले ही चोरी किये गये वायर की कीमत पांच हजार रूपये आंकलित की गई, किन्तु आरोपीगण का रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ा जाना यह दर्शाता है कि यदि उन्हें तत्समय नहीं पकडा गया होता तो कहीं अधिक मात्रा में चोरी होती। तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दण्डाज्ञा के बिन्दू पर विचार करते हुए 6–6 माह का सश्रम कारावास और तीन–तीन हजार रूपये के अर्थदण्ड से ही दण्डित किया है। जबकि दोषसिद्ध अपराध में जो दण्डाज्ञा का प्रावधान है, वह 14 साल तक और जुर्माने तक से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। ऐसे में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही पर्याप्त उदारता बरतते हुए दण्डाज्ञा अधिरोपित की गई है और उसमें भी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दण्डाज्ञा देते समय भा०द०वि० की धारा—71 एवं द०प्र०सं० की धारा—221 के प्रावधानों का उपयोग करते हुए गुरूत्तर अपराध धारा–457 भा०द०वि० में ही दण्डाज्ञा अधिरोपित की गई है इसलिये दण्डाज्ञा के बिन्दु पर भी दाण्डिक अपील स्वीकार योग्य नहीं पाई जाती है। फलतः दण्डाज्ञा के बिन्दू पर भी अपील निरस्त कर दण्डाज्ञा को यथावत रखा जाता है।

19. आरोपी मुन्ना कोरी जमानत पर मुक्त है अतः उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। शेष दण्डाज्ञा भुगताये जाने हेतु उसे सजा वारण्ट के साथ उपजेल गोहद भेजा जावे। एवं आरोपी परिमाल सिंह पूर्व से ही न्यायिक निरोध में है अतः उसे भी सजा वारण्ट के साथ शेष दण्डाज्ञा भुगताये जाने हेतु उपजेल गोहद भेजा जावे। सजा वारण्टों के साथ आरोपीगण के धारा—428 द0प्र0सं० के प्रमाण पत्र भी संलग्न किये जावें जिनमें आरोपी परिमाल की वर्तमान समय में काटी गई निरोध की अविध का भी उल्लेख किया जावे।

- 20. जप्तशुदा संपत्ति के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की किण्डका—23 को यथावत रखा जाता है।
- 21. आरोपीगण द्वारा न्यायिक निरोध में व्यतीत की गई अवधि मूल सजा में समायोजित की जावे।
- 22. निर्णय की एक एक प्रति आरोपीगण को निःशुल्क प्रदान की जावे। एवं एक प्रति डी०एम० भिण्ड की ओर भेजी जावे।

दिनांकः **05 दिसंबर-2015**(

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड

